अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि सायल प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रहे हैं, अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान् को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-:: आदेश ::-

तः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र सायल अंतर्गत धारा 212, जस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होने एवं ारवान होने से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायल संख्या 1** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा धनेरिया पटवार हल्का केकिन्दड़ा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राज. के खसरा नम्बर 394 रकबा 16.4059 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 18 रकबा 0.1781 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाड़ा की मौका स्थिति व भू अभिलेख में कोई परिवर्तन नही करे, रहन, बैचान, हस्तान्तरण, आदि न तो स्वयं करें तथा न ही किसी अन्य से करवावें तथा किसी प्रकार का नवीन कच्चा पक्का आदि निर्माण नही करे। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज0

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक),जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)